कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः–1505 / FP/UK/ROAD/40174/2019 देहरादूनः दिनांकः 19 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

(Online Proposal No- FP/UK/ROAD/40174/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,रूद्रप्रयाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.955 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–I से भाग–III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 19/12/19
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/40174/2019 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौडी।
5. जिलाधिकारी, जनपद–रूद्रप्रयाग।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी